कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 21/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 12.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 12.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट

थाना – दीदारगंज, जनपद – आज़मगढ़

हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक **20.10.2025** को वादी उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, थाना दीदारगंज जनपद आज़मगढ़ की लिखित तहरीर पर दो पक्षों के मध्य मारपीट की घटना के संबंध में थाना दीदारगंज पर **मु0अ0सं0 295/2025**, धारा **115(2), 352, 351(3), 109, 3(5) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता–2023)** बनाम इन्द्रजीत, वीरेन्द्र, रंजीत गौतम, कमलाकान्त, संजय एवं बब्लू पुत्रगण क्रमशः सुखदेव एवं विजय बहादुर निवासीगण ग्राम डीहपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आज़मगढ़ पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त **संजय** फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक **12.01.2026** को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह का0 उपेन्द्र कुमार द्वारा विवेचना के क्रम में क्षेत्र भ्रमण के दौरान **फूलेश बाजार** में मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त संजय दीदारगंज चौराहे के पास खड़ा है तथा भागने की फिराक में है। प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा दीदारगंज चौराहे पर दबिश देकर अभियुक्त को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम **संजय पुत्र विजय बहादुर**, उम्र लगभग **40 वर्ष**, निवासी ग्राम डीहपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आज़मगढ़ बताया। अभियुक्त की जामा तलाशी में पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। अभियुक्त को समय करीब **09:00 बजे** विधिवत हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

संजय पुत्र विजय बहादुर, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम डीहपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आज़मगढ़।

मुकदमे का विवरण

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	295/2025	115(2), 352, 351(3), 109, 3(5) बीएनएस	दीदारगंज	आज़मगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 **अनिल कुमार सिंह**, थाना दीदारगंज, जनपद आज़मगढ़
2. का0 **उपेन्द्र कुमार**, थाना दीदारगंज, जनपद आज़मगढ़

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना – सरायमीर, जनपद – आज़मगढ़

अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

चोरी, धोखाधड़ी व आयुध अधिनियम सहित 08 आपराधिक मामलों में संलिप्त अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही

थाना सरायमीर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **11/12.01.2026** की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर **प्राथमिक विद्यालय सुरही खुर्द** के पास दबिश देकर एक शातिर अभियुक्त को **अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस** के साथ गिरफ्तार किया गया।

जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से **एक अदद तमंचा .315 बोर (चालू हालत में)** एवं **एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ। इस संबंध में थाना सरायमीर पर **मु0अ0सं0 07/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम** पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

राजन पुत्र राजू,निवासी – माहुल, थाना अहिरौला, जनपद आज़मगढ़, उम्र – लगभग **28 वर्ष**।

बरामदगी

➡ 01 अदद तमंचा .315 बोर

➡ 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	80/2021	308, 323, 324, 325, 504, 506 भादवि	अहिरौला	आज़मगढ़
2	418/2022	3/25 आयुध अधिनियम	अहिरौला	आज़मगढ़
3	192/2024	3/25 आयुध अधिनियम	अहिरौला	आज़मगढ़
4	580/2023	379, 411 भादवि	कोतवाली	आज़मगढ़
5	88/2022	41, 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि	फूलपुर	आज़मगढ़
6	235/2022	379, 411 भादवि	फूलपुर	आज़मगढ़
7	73/2022	379, 411 भादवि	पवई	आज़मगढ़
8	302/2023	34, 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि	सरायमीर	आज़मगढ़

उक्त विवरण से अभियुक्त का **आदतन अपराधी एवं आपराधिक प्रवृत्ति का होना स्पष्ट** है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- व0उ0नि0 **धर्मेन्द्र कुमार**, थाना सरायमीर
- हे0का0 **अम्बुज तिवारी**, थाना सरायमीर
- हे0का0 **धीरज मिश्रा**, थाना सरायमीर
- का0 **गुप्ता संदीप लल्लन**, थाना सरायमीर
- का0 **विजय कुमार**, थाना सरायमीर

जनपद पुलिस अवैध असलहों, संगठित अपराध एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं निरंतर कार्यवाही हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

प्रेस नोट, दिनांक : 12.01.2026
थाना – तरवां, जनपद – आज़मगढ़

सड़क जाम व शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 07 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
उचहुआ पुल जाम कांड में पुलिस की सख्त कार्यवाही

➡ थाना तरवां पुलिस द्वारा सड़क जाम, शासकीय कार्य में बाधा एवं लोक व्यवस्था भंग करने की घटना में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक **12 जनवरी 2026** को **07 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है।

➡ उल्लेखनीय है कि दिनांक **01.12.2025** को उचहुआ पुल के पास एक सड़क दुर्घटना में युवक की मृत्यु के उपरान्त अभियुक्तगणों द्वारा मृतक के शव को सड़क पर रखकर **06:15 बजे से 10:15 बजे तक सड़क जाम** कर दिया गया था। इस दौरान भीड़ द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी की गई, आम जनता, बीमार, बुजुर्गों एवं बच्चों के आवागमन को बाधित किया गया तथा राहगीरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी देते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई।

➡ उक्त घटना के संबंध में थाना तरवां पर **मु0अ0सं0 327/2025**, धारा **189(2), 221, 222, 224, 126(2), 132, 352, 351(3), 192, 131 बीएनएस व 07 सीएलए एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।
दिनांक **12.01.2026** को मुखबिर की सूचना पर थाना तरवां पुलिस द्वारा **उचहुआ क्षेत्र से 07 अभियुक्तों** को समय करीब **12:10 बजे** गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने अपने कृत्य को स्वीकार करते हुए गलती की माफी मांगी तथा न्यायालय में अपना पक्ष रखने की बात कही।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम

1. तेजबहादुर सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रशेखर सिंह
2. अशोक कुमार सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रदेव सिंह
3. अरुण कुमार सिंह पुत्र भोला सिंह
4. बाला लखन्दर उर्फ बाला पुत्र बुद्धिराम
5. आजाद उर्फ अजीत चौहान पुत्र स्व0 सन्तोष चौहान
6. रामबाबू राजभर पुत्र इन्द्रदेव उर्फ चन्द्रदेव
7. रविकान्त सिंह उर्फ रजत पुत्र तेजबहादुर सिंह

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- व0उ0नि0 **अजय कुमार सिंह**, थाना तरवां
- उ0नि0 **रमेश सिंह**, थाना तरवां
- का0 **संदीप पटेल**, थाना तरवां

जनपद पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लोक व्यवस्था भंग करने, सड़क जाम करने एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

प्रेस नोट

थाना – फूलपुर, जनपद – आज़मगढ़

किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ थाना फूलपुर पुलिस द्वारा नाबालिग किशोरी से संबंधित गंभीर अपराध के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई है।

➡ उल्लेखनीय है कि दिनांक **16.09.2025** को थाना फूलपुर क्षेत्र की एक किशोरी दवा लेने के लिए घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा की गई खोजबीन के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया गया है। इस संबंध में थाना फूलपुर पर **मु0अ0सं0 451/2025**, धारा **87/137(2) बीएनएस** में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर प्रकरण में **धारा 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पाक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आज़मगढ़ डॉ. अनिल कुमार (IPS) के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक **12.01.2026** को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को **आंधीपुर मोड़** से समय करीब **10:45 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए विधिवत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सौरभ यादव पुत्र रामचन्दर यादव, निवासी ग्राम ओरिल कमटार, थाना पवई, जनपद आज़मगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 451/2025, धारा **137(2)/87/65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पाक्सो एक्ट**, थाना फूलपुर, जनपद आज़मगढ़ (विवेचनाधीन)।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 **सत्येन्द्र कुमार** का0 **मुनीब यादव** का0 **अनुपम सिंह** थाना फूलपुर, जनपद आज़मगढ़

जनपद पुलिस महिलाओं एवं किशोरियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति पूर्णत: संवेदनशील है तथा ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 12.01.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा मारना पीटना व धमकी देने के आरोप में दोषी करार देते हुए **न्यायालय उठने तक के कारावास** से व प्रत्येक को 2500 **रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें मारने पीटने व धमकी देने के 02 **आरोपी अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक के कारावास** से व प्रत्येक को 2500 **रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 08.06.2016 को वादिनी मुकदमा शबिना पुत्री अली हुसैन निवासी जोगापटटी थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्तगण 1. आफताब पुत्र बाबूजान 2. बाबूजान पुत्र दिस मोहम्मद निवासीगण जुल्सी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर के द्वारा वादिनी पक्ष को मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देना ।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0- 103/2016 धारा-323,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 12.01.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. आफताब पुत्र बाबूजान 2. बाबूजान पुत्र दिस मोहम्मद निवासीगण जुल्सी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास** से व प्रत्येक को 2500 **रु0** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।